

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाऐ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सिवनी जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धंसौर-केदारपुर मुख्य मार्ग से चरगांव उमरडीह-बखारी मार्ग ग्रेवल सड़क एवं पुल पुलिया के निर्माण हेतु 2.59 हेक्टेयर वनभूमि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सिवनी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक:

स्थान: भोपाल


 (अशोक कुमार) (अशोक कुमार)
 अपर सचिव अपर सचिव
 म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)